लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या –*159
उत्तर देने की तारीखः 02.07.2019

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए कोटा

***159. श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री राहुल रमेश शेवलेः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों को सभी सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी कंपनियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत कोटा कार्यान्वित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र तथा राज्य सरकारों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री भर्तृहरि महताबः श्री राहुल रमेश शेवले द्वारा "भिन्न प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए कोटा" के संबंध में दिनांक 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने हेतु उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 159 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम 'नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एंड अदर्स' शीर्षक के तहत सिविल अपील संख्या 9096/2013 में दिनांक 08.10.2013 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ यह निदेश भी दिया कि समूह क, ख, ग और घ के पदो के मामले में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की गणना समरूप रीति अर्थात "संवर्ग क्षमता की रिक्तियों की कुल संख्या पर 3 प्रतिशत आरक्षण की गणना करते हुए" से की जानी होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश भी दिया कि "समुचित सरकार" से अपेक्षित है कि वह आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर सभी "संस्थापनों में" उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की गणना करेगी तथा इसके पश्चात दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान करेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 29.12.2005 के अपने पूर्व ज्ञापन को उस सीमा तक संशोधित करते हुए दिनांक 03.12.2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/24/2009–स्था.(रेस.) जारी किया कि क्रमशः समूह 'ग' और समूह 'घ' में समान संवर्ग में सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पद में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या (पहचान किये गये अथवा पहचान न किये गये पद दोनों) के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए समूह 'क' अथवा समूह 'ख' में आरक्षण की गणना की जाएगी। डीओपीटी ने दिव्यांगजनों की रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मई, 2015 में सभी संबंधित अधिकायों को भी निदेश जारी किए और इस प्रयोजनार्थ एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया।

(ग) से (ङ): निरस्त दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी हुआ है, के अनुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को मानीटर करने तथा साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों को दिए जाने से मना करने से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय (सीसीपीडी कार्यालय) से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके द्वारा इनका निपटान किये जाने का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	पंजीकृत + आगे लाये गए मामलों की संख्या	निपटान किये गये मामलों की संख्या (पिछले बैकलॉग सहित)
2016-17	1747+1358=3105	1596
2017-18	1772+1509=3281	1548
2018-19	1530+1733=3263	1670
2019-20 (मई, 2019 तक)	142+1593=1735	161

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने इन शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

****